न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश संख्या 1 तिजारा जिला खैरथल–तिजारा, राज.

पीठासीन अधिकारी : **विनोद कुमार शर्मा, आरजेएस. जिला न्यायाधीश संवर्ग**

दाण्डिक विविध प्रकरण संख्या : 40/2026

सी.आई.एस. नम्बर : 83/2026

अजयसिंह उम्र करीब 22 साल पुत्र गुरूदेव निवासी लाडमका पुलिसथाना खुशखेडा जिला खैरथल–तिजारा, राज.

..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस.

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–59/2026 पुलिसथाना खुशखेडा जिला खैरथल तिजारा, राज0

अपराध अन्तर्गत धारा–304(2), 112 बीएनएस.

उपस्थिति :

(1) श्री ईसब खान, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त

(2) विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

आदेश **दिनांक : 01.04.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त अजयसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस. के तहत विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत करने पर नकल अभियोजन को दिलाई गई, पत्रावली की गई। उभय पक्ष को सुना गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी सौनू ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 28.02.2026 को शाम को साढे बात बजे अपनी कंपनी से अपने ग्राम कारौली में जा रहा था, तो रास्ते में मेरे मोबाईल पर फोन आया, जब उसने मोबाइल पर बात करने लगा, तो उसी समय पीछे से दो लडके एक मोटरसाईकिल पर आये व उसका मोबाइल फोन झपट्टा मारकर छीन कर ले गये, जिनके नाम अजय व अमरसिंह है.....आदि। परिवादी की उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया जाकर मामला अन्वेषणाधीन है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराया व निवेदन किया कि प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है, विचारण में समय लगने की संभावना है। अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं। आरोपपत्र पेश किया जा चुका है। सह–अभियुक्त का जमानत पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी अभियुक्त का मामला उससे भिन्न नहीं है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाये। इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने कडा विरोध करते हुए जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया ।

4. उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन से प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध धारा 304(2) बीएनएस. का अभियोग है, मामले में आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 01. 03.2026 से न्यायिक हिरासत में हैं। विचारण में समय लगने की संभावना है। सह–अभियुक्त का जमानत पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी अभियुक्त का मामला उससे भिन्न नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टीका–टिप्पणी किये बिना प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है

–आदेश–

5. परिणामतः प्रार्थी अभियुक्त अजय सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त विचारण न्यायालय की संतुष्टि अनुसार एक लाख रूपये की जमानत व समान राशि का बंधपत्र प्रस्तुत कर तस्दीक करावे तो उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(विनोद कुमार शर्मा)

6. आदेश आज दिनांक 01.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार शर्मा)